



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 06.05.2023

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा सैलून के अन्दर हुक्का पार्टी कराने वाले संचालक सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

02 हुक्का, 02 हुक्का की पाइप, 02 हुक्का की प्लेटें, 02 डिब्बी तम्बाकू, 01 पैकेट कॉइल बरामद।

दिनांक 04.05.2023 की रात्रि को सोशल मीडिया पर हुक्का पीते हुए कुछ युवकों का वीडियो वायरल हुआ था। थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा वीडियो के सम्बन्ध में जांच की गयी तो उक्त वीडियो डबास प्लाजा, वसुन्धरा के प्रथम तल पर स्थित लुक्स सैलून के अन्दर का होना पाया गया।

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 05.05.2023 को उक्त लुक्स सैलून के संचालक साहिल चौधरी पुत्र संजय चौधरी निवासी म0नं0-518, ग्राम पसोंडा, निकट चांद मस्जिद, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद एवं एक अन्य अभियुक्त जावेद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी- म0नं0 483, ग्राम पसोंडा, निकट चांद मस्जिद, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 हुक्का, 02 हुक्का की पाइप, 02 हुक्का की प्लेटें, 02 डिब्बी तम्बाकू, 01 पैकेट कॉइल बरामद हुई हैं।

वायरल वीडियो के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं अभियुक्तों से पूछताछ/वायरल वीडियो के आधार पर अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त साहिल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं उक्त सैलून का संचालक हूँ। दिनांक 30.04.2023 को मेरे एक दोस्त जीशान की जन्मदिन पार्टी थी। उसी दिन यह वीडियो हम लोगों के द्वारा हुक्का पीते हुए बनायी गयी थी। हम लोगों के द्वारा यह पार्टी लुक्स सैलून के अन्दर की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1-संचालक साहिल चौधरी पुत्र संजय चौधरी निवासी म0नं0-518, ग्राम पसोंडा, निकट चांद मस्जिद, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

2-जावेद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी- म0नं0 483, ग्राम पसोंडा, निकट चांद मस्जिद, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण :-

- 1- 02 हुक्का,
- 2- 02 हुक्का की पाइप,
- 3- 02 हुक्का की प्लेटें,
- 4- 02 डिब्बी तम्बाकू,
- 5- 01 पैकेट कॉइल।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना इंदिरापुरम पुलिस।

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा बिना अनुमति के बज रहे 02 डीजे को जब्त कर सीज किया गया।

दिनांक 05.05.2023 को थाना टीला मोड़ कमिश्नरी गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में बिना अनुमति के एवं निषेध आज्ञा का उल्लंघन कर बज रहे दो डीजे सिस्टम को जब्त कर सीज किया गया एक डीजे सिस्टम का फार्म हाउस के सामने निस्तौली रोड पर कब्जा पुलिस में लेकर व दूसरा डीजे सिस्टम एमआर फार्म हाउस वजीराबाद रोड पर बिना अनुमति के बजाते हुए कब्जा पुलिस में लेकर सीज किया गया। दोनों डीजे मालिकों/संचालकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों का नाम व पता

1. खुशीराम पुत्र श्रीराम सिंह नि0- सी 234 कर्दमपुरी गली न0-5 शाहदरा दिल्ली
2. मोहित पुत्र धर्मवीर सिंह नि0 बी 40, गली नं0 07, राजीव कालोनी भोपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

02 डीजे मय वाहन

पुलिस टीम

पुलिस टीम थाना टीला मोड़

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 9000/- रुपये, लूट का 01 मोबाइल फोन

बरामद।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 6.04.2023 को 150 फुटा रोड शालीमार गार्डन से 02 अभियुक्तों को मय लूट के मोबाइल फोन व 9000/- रुपये लूट से संबंधित सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह नशे के आदी हैं नशे का शौक पूरा करने के लिए वह राह चलते लोगों से मोबाइल फोन व बैग, पर्स व आदि छीनते हैं जिसको बेचकर वह नशे का शौक पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. रोहित पुत्र जितेन्द्र निवासी म0न0 बी-65 गली न0 15 जगतपुरी थाना मानसरोवर पार्क दिल्ली उम्र लगभग 24 वर्ष
2. अजय पुत्र किशन निवासी शाहदरा दिल्ली मूलपता गांव कलगांव थाना तिजारा जनपद अलवर राजस्थान उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण :-

1. लूट के मोबाइल फोन
2. लूट के 9000/- रुपये

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रोहित व अजय के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में 04 लूट/चोरी तथा अभियुक्त रोहित के विरुद्ध दिल्ली में 06 चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 ई-रिक्शा, 04 बोरा प्लास्टिक डोर वाईजर,

गाड़ी काटने के उपकरण व 28 कैमिकल की कैन आदि बरामद।

दिनांक 02.04.2023 को थाना टीला मोड़ क्षेत्र से एक छोटा हाथी चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी बरामदगी हेतु दो अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था।

दिनांक 05.05.2023 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम व स्वाट टीम ट्रांस हिण्डन द्वारा 4 अभियुक्तों को एक ई0रिक्षा मार्का यात्री डीलक्स नं0-DL1ERA8270 रंग सुनहरा व एक अदद ई0रिक्षा मार्का सार्थक नं0-DL5ER8167 रंग ग्रे व दो नम्बर प्लेट नं0-DL1LAD5428 व 04 बोरा प्लास्टिक डोर वाईजर व गाड़ी काटने के उपकरण व 28 कैमिकल की कैन जिसमें 04 खाली कैन आदि अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-आजिम पुत्र दूल्हे मियाँ निवासी अहमद नगर असौली थाना बिल्सी जनपद बदायूँ
- 2-शारिक पुत्र यूनस अली निवासी अफजलपुर छगनपुर थाना मुजरिया जनपद बदायूँ
- 3-रौनक उर्फ उबेदुर्रहमान पुत्र अब्दुल बशीद निवासी मोहल्ला मिर्जा टोला थाना सहसवान जनपद बदायूँ
- 4-मुन्ना उर्फ उबेदुल्ला पुत्र अब्दुल बशीद निवासी मोहल्ला मिर्जा टोला थाना सहसवान जनपद बदायूँ

पूछताछ का विवरण- अभि0गण ने पूछताछ पर बताया कि हम चारों अपने अन्य साथी के साथ योजना बनाकर सड़क किनारे खड़े वाहनो को अपनी चाबी से खोलकर चोरी कर लेते तथा चोरी किये गये वाहनो को यौगांचल आश्रम निस्तौली रोड के पीछे गड्डो में ले जाकर छोटे-छोटे पुर्जों में काट देते थे फिर हम सब उनको बेच देते थे। जिससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं।

बरामदगी का विवरण –

- 1.चोरी की 02 ई-रिक्षा
- 2.दो नम्बर प्लेट
- 3.एक प्लास्टिक के कट्टे में 02 स्पीकर 02 सीट बेल्ट व एक डेग
4. 04 प्लास्टिक के कट्टों में चोरी के बरामद डोर वाईजर
- 5.एक प्लास्टिक के कट्टे में वाहन काटने के उपकरण
6. कैमिकल भरी 28 कैन जिसमें 04 कैन खाली व बाकी भरी हुई

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीला मोड़ पुलिस व स्वाट टीम ट्रांसहिण्डन

थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय शांतिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 05 मोबाइल फोन, घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व नशीला पाउडर बरामद

दिनांक 06.05.23 को थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान शिप्रा माल के पीछे एसबीआई कट पर एक मोटर साइकिल पर सवार दो व्यक्ति से 062 अण्डर पास की ओर से आते दिखायी दिये, पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया, तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा तेजी से बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की गई, तो मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त (1.) आदित्य उर्फ मन्नु उर्फ मोनू पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ए 62 वृन्दावन गार्डन शिव मन्दिर के पास साहिबाबाद थाना साहिबाबाद मूल पता गांव सरईया थाना मधुबनी जिला मऊ (2.) अभिषेक पुत्र बालेश्वर सिंह निवासी सी 211, जनकपुरी थाना साहिबाबाद मूल पता गांव रेवाडी थाना कोप्पा जिला छपरा राज्य विहार के कब्जे से 05 मोबाइल फोन एवं 240 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य ने बताया कि मैं अपने साथी रितिक उर्फ सोनू पुत्र अनिल राघव निवासी सी-44 बालाजी कालोनी दादरी नोएडा एवं अभिषेक उपरोक्त के साथ मिलकर लूट/चोरी की घटना कारित करता था। दिनांक 11.02.2023 को थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा रितिक उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, मैं भी थाना साहिबाबाद व लिंक रोड के अभियोगों में फरार चल रहा था। मेरी और अभिषेक की मुलाकात करीब 05 माह पहले एक जगह आसपास

रहने के कारण हुई थी। हम लोग आते जाते मिलते रहते थे, रितिक के जेल जाने के बाद हम दोनों मिलकर यह घटनाये कारित कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त नशे करने के आदि हैं जो अपने शौक/खर्च/नशे के लिए लूट/चोरी की घटनाओं को कारित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम पते-

- 1 आदित्य उर्फ मन्नु उर्फ मोनू पुत्र प्रमोद सिंह निवासी ए 62 वृन्दावन गार्डन शिव मन्दिर के पास साहिबाबाद थाना साहिबाबाद मूल पता गांव सरईया थाना मधुबनी जिला मऊ
- 2 अभिषेक पुत्र बालेश्वर सिंह निवासी सी 211, जनकपुरी थाना साहिबाबाद मूल पता गांव रेवाडी थाना कोप्पा जिला छपरा राज्य विहार

बरामदगी का विवरण -

1. 05 मोबाइल फोन थाना इंदिरापुरम पर पंजीकृत लूट/चोरी के अभियोगों से सम्बन्धित
2. घटनाओं में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल
3. 240 ग्राम पाउडर एल्प्राजोलम

गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य उर्फ मन्नु उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त आदित्य उर्फ मन्नु के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में चोरी/ लूट के 11 अभियोग व 01 NDPS का अभियोग तथा जनपद गौतमबुद्ध नगर में चोरी/लूट के 11 अभियोग एवं दिल्ली में लूट/चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम